संख्या–1772/69-1-98-5(एस.जे.)/98

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के कम्पोनेन्ट शहरी स्वतः रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण हेतु मार्ग निर्देश एवं कार्यकारी योजना।**

महोदय,

दिनांक 1.12.97 से प्रदेश के समस्त नगरों में संचालित की जा रही स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों अथवा आंशिक बेरोगारों की स्वरोजगार उद्यम की स्थापना एवं मजदूरी रोजगार के प्राविधान को प्रोत्साहन देकर लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के कम्पोनेन्ट शहरी स्वतः रोजगार कार्यक्रम (यू. एस.ई.पी.) का उद्देश्य लघु उद्यम की स्थापना के साथ-साथ प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का विकास किया जाना है। इसके अन्तर्गत शहरी निधनों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों स्थानीय कौशल एवं हस्तकला के माध्यम से कौशल का विकास किया जाना है। जिससे लाभांर्थी स्वरोजगार एवं पूर्व से अधिक लाभ/वेतन पा सके। उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 1945/69-1-98-01 (एस.जे.)/97, दिनांक 12.12.97 एवं शासनादेश संख्या-438/69-1-98-05 (एस.जे.)/98 दिनांक 24.3.98 के क्रम में निम्नलिखित मार्ग निर्देश जारी किये जा रहे है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषतायें:-

(1) यह स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के कम्पोनेन्ट शहरी स्वतः रोजगार कार्यक्रम का एक भाग है।

(2) इसके अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों के चयनित निर्धन परिवारों के लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडस में प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वह स्वतः/स्वअर्जित आय रोजगार में नियोजित होकर परिवार की आय में वृद्धि कर गरीबी रेखा के ऊपर उठ सके।

(3) इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से आई.टी.आई., पालीटेक्निक, श्रमिक विद्यापीठ, इन्जीनियरिंग कालेज उपर्युक्त शिक्षण संस्थायें तथा निजी व स्वैच्छिक संस्थाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थित भवन केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

आयु सीमाः-

18-35 वर्ष आयु वर्ग के नगरीय निर्धन इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे।

लाभार्थियों का आच्छादनः-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा महिलाओं, विकलांगों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित ऐसे ही अन्य वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। महिला लाभार्थियों का प्रतिशत इस कार्यक्रम में 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए एवं अनुसूचित जाति की सम्पूर्ण जनसंख्या में उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में लाभ मिलेगा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत का आरक्षण होगा।

प्रशिक्षण कक्षा का औसत आकार एवं पाठ्यक्रम की अवधि :-

इस योजना में प्रशिक्षण का औसत आकार 25 प्रशिक्षु का होगा। तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की औसत अवधि 03 माह (300 घण्टे) होगी। किसी कौशल के उन्यन प्रशिक्षण के लिए कुल प्रशिक्षण दिवस न्यूनतम 300 घण्टे प्रशिक्षण के अध्याधीन न्यूनतम दो माह से छः माह तक मिल सकते है। लेकिन कुल व्यय रु. 2,000/- प्रति लाभार्थियों से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रशिक्षण हेतु चयनित लाभार्थियों पर व्यय की दरें:-

(1) छात्रवृत्ति।
(2) संस्थाओं को सहायता।
(3) टूल/किट्स की आपूर्ति।
(4) प्रशिक्षण लागत।

(1) छात्रवृत्ति :-

प्रशिक्षण का काल में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र पर आने जाने आदि हेतु प्रतिमाह रू. 100/- छात्रवृत्ति दी जायेगी। जो निर्धारित समय में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में एक मुश्त संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरण अथवा यू.पी.ए. सेल द्वारा धारक चेक द्वारा भुगतान की जायेगी।

(2) संस्थाओं को सहायताः-

निजी संस्थाओं सहित कोई भी प्रशिक्षण संस्थान संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से डूडा को प्रस्ताव देकर अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु सहायता

ले सकता है। डूडा ऐसी संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सहायता हेतु तय निधियों के 15 प्रतिशत तक नियम कर सकता है।

(3) टूल किट की आपूर्तिः-

सन्तोषजनक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रक्षिणार्थियों को टूलकिट भी वितरण किये जा सकते है। टूलकिट का मूल्य रु. 600/- से अधिक नहीं होगा। यदि मूल्य रू. 600/- से अधिक होता है तो इसमें आपत्ति नहीं है यदि वह धन किसी अन्य मद में लिया गया है अथवा प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं दिया गया हो। उचित होगा कि प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण काल में ही टूलकिट की आपूर्ति की जाय ताकि टूलकिट से भलीभांति परिचित हो सके।

(4) प्रशिक्षण लागतः-

प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थियों को कच्चा माल, प्रशिक्षण मानदेय तथा संस्था द्वारा किये गये व्यय रू. 230/- प्रतिमाह किया जा सकेगा।

संस्था का योगदानः-

सवेतन व स्वरोजगार में स्थापितों का पूरा विवरण संबंधित प्रशिक्षण संस्था, डूडा/स्थानीय निकाय में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षार्थीवार रखा जायेगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण, संस्था का प्रशिक्षण में योगदान कर मूल्यांकन उनके द्वारा शत प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार में स्थापित करने पर ही सफल माना जायेगा एवं मास्टर क्राप्टमैन तथा संस्था को मानदेय का भुगतान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति के आधार पर ही अनुमन्य किया जायेगा। इस सन्दर्भ में मास्टर क्राप्टमैन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवसाय में लगा है और इसका उद्देश्य प्रशिक्षण सुदूर मलिन बस्ती क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के तक पहुंचाना है।

कच्चा माल व उससे बनी सामग्रीः-

ट्रेड विशेष की आवश्यकतानुसार ही कच्चे माल की आपूर्ति ट्रेनिंग प्रारम्भ होते ही सुनिश्चित की जायेगी तथा ट्रेनिंग के दौरान निरन्तर बनायी रखी जायेगी परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। कच्चा माल उपभोक्ता सहकारी समितियों या आयकर विक्रीकर विभाग में पंजीकृत ख्याति प्राप्त फर्मो से ही क्रय किया जायेगा। बिल कैशमैमों में वस्तु का पूरा विवरण मैक, सपेसीफिकेशन बिक्री पर, मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। कच्चे माल निर्धारित अधिकतम धनराशि सीमा के अन्तर्गत, किन्तु वास्तविक मांग से ज्यादा क्रय नहीं किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान कच्चे माल से बनी सामग्री का बराबर-बराबर वितरण संबंधित प्रशिक्षण संस्था एवं लाभार्थियों के बीच प्रतिमाह या प्रशिक्षण समाप्त होने के दिनांक तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा और यदि लाभार्थी 50 प्रतिशत नगद धन प्रशिक्षण संस्था को देकर अपने संबंधित पूर्ण पक्की सामग्री लेना चाहें

तो वह प्राप्त कर सकेंगे और यदि इस प्रकार भी निस्तारण न हो तो अन्तिम विकल्प के रूप में परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी व प्रशिक्षण संस्था स्वयं मिलकर पक्की सामग्री की विक्री इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कम से कम कच्चे माल की धनराशि के बराबर विक्री अवश्य हो जाय।

प्रशिक्षण के दौरान क्रय कच्चे माल की सामग्री का अंकन व व्यय पत्रों का पूरा विवरण स्टाफ रजिस्टर में अंकित होना आवश्यक है औ पक्की सामग्री का भी विवरण उत्पादित वस्तुओं के नाम, संख्या, लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई आवश्यकतानुसार बजट सहित इसमें अंकित करना आवश्यक है। इस रजिस्टर की समस्त प्रविष्टियों को केन्द्र संचालन एवं संबंधित स्थानीय निकाय के सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा पूरी जाँच के उपरान्त रजिस्टर में प्रमाणीकरण किया जायेगा और यह रजिस्टर प्रशिक्षण पूरा होने पर संबंधित डूडा कार्यालय में जमा रहेगा। जब तक उत्पादित वस्तुओं का अन्तिम रूप से निस्तारण न हो जाय तब तक प्रशिक्षण संस्था का कच्चे माल की सामग्री के समतुल्य धनराशि का भुगतान लम्बित रखा जायेगा। प्रशिक्षार्थी की डायरी में कच्चे तथा तैयार माल का विवरण अवश्य दर्ज किया जायेगा।

पाठयक्रम की अवधि :-

सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि 6 माह अधिकतम होगी। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवहारिक कुशलता के स्तर की दृष्टि से प्रत्येक व्यवसाय के लिए पाठयक्रमवार माडयूल्स तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण संस्थाओं का होगा जो अंकित रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अनुमोदनोपरान्त लागू किये जायेंगे। प्रत्येक ट्रेड के पाठयक्रम की एक प्रति प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय निकाय व अभिकरण कार्यालय में प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराने का एवं पाठयक्रम द्वारा प्रशिक्षण पूरा कराने का उत्तरदायित्व परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी का होगा। पाठयक्रम अनुसार प्रशिक्षण पूरा कराने का दायित्व प्रशिक्षण संस्था व सी.डी.एस. स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी व जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी का होगा। पाठयक्रम में ट्रेड से संबंधित उपकरणों का रख-रखाव, कच्चे माल की आपूर्ति पक्के माल की विक्री एवं आवश्यकतानुसार संबंधित ट्रेड के संचालन में लखा-जोखा रखने की जानकारी भी सम्मिलित की जायेगी। संबंधित प्रशिक्षण अपनी दैनिक डायरी में प्रतिदिन सिखाये गये विषय का विस्तृत विवरण भरेंगे व किस दिन किस कच्चे सामग्री से पक्की सामग्री बनी है का भी विवरण भरेंगे। प्रशिक्षार्थी भी प्रतिदिन सीखे विषय का विवरण दिनांक वार कापी में लिखेंगे। यह दोनों अभिलेख प्रशिक्षण केन्द्र पर रखे जायेंगे व प्रशिक्षण पूरा होने पर विधिवत संबंधित डूडा कार्यालय में जाँच निरीक्षण हेतु स्तान्तरित किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समान ट्रेड्स के लिए एकरूपता रखी जायेगी तथा प्रशिक्षण पाठयक्रम की अद्यावधिक एवं कार्य कुशलता से परिपूर्ण बनाया जाये जिसमें व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दानों का समुचित समावेश हो। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सहायक परियोजना अधिकारी

प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाणित पत्र उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा में निकटवर्ती तकनीकी संस्थान के आचार्य प्रशिक्षण को शामिल किया जायेगा।

वित्त पोषणः-

स्वरोजगार, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का ही एक उपकार्यक्रम है। अतः योजनान्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षित शत–प्रतिशत लाभार्थियों का वित्त पोषण स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तग्रत लक्ष्य अनुसार अनुपात सुनिश्चित किया जाय। जिसकी संयुक्त जिम्मेदारी प्रशिक्षण देने वाली संस्था एवं संबंधित जनपद के डूडा कार्यालय की होगी। प्रशिक्षण प्रारम्भ होते ही ऋण प्रार्थना पत्रों को भेजने का व्यक्तिगत दायित्य सहायक परियोजना अधिकारी का होगा व अभिकरण स्तर, स्थानीय निकाय तथा जिला स्तरीय बैंकों की मासिक बैठकों में इनकी निरन्तर समीक्षा की जाय। यदि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दूसरे सप्ताह ऋण प्रार्थना पत्र संबंधित बैंक शाखा को नहीं भेजे गये तो यह सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी की उदासीनता मानी जायेगी और अभिकरण स्तर पर इनके साथ-साथ परियोजना निदेशक भी इसके लिए उत्तदायी होंगे। प्रत्येक माह में जिला स्तर की समिति में इसका अनुश्रवण भी किया जाय।

उत्पादित सामान की विक्रय व्यवस्थाः-

स्वरोजगार में स्थापित व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री की समस्या रहती है। अतः जनपद में ऐसे विभागों को चिन्हित किया जाय जो इस प्रकार सामग्री का उपभोग करते हों। इन विभागों के अधिकारियों की एक बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाकर स्थानीय स्तर पर यह प्रयास किया जाय कि शासकीय संस्थायें इस सेक्टर में उत्पादित माल को क्रय करें।

लाभार्थियों द्वारा उत्पादित सामान की गुणवत्ता का स्तर उच्च किये जाने का प्रयास किया जाय ताकि यह सामग्री बाजार प्रतियोगिता में ठहर सके। और सामान्य जनता उसको क्रय करने में वरीयता दें। उत्पादित सामान के विक्रय/विपणन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान संबंधित डूडा कार्यालय की निर्धारित की जाय।

कार्य कलापों का चयन :-

पिछले वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशिक्षण योजनान्तर्गत क्रिया कलापों एवं व्यवसायों का चयन पहले न कर लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्र विशेष में उद्योगों की सम्भाव्यता एवं विशिष्ट क्रिया कलापों में रोजगार सृजन की व्यवहारिक, वास्तविक तथा व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत करते हुए कच्चे माल की उपलब्धता एवं उत्पादित सामग्री की विक्रय व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय एवं तदनुरूप लाभार्थियों का चयन करके उनकी रूचि, पैतृक व्यवसाय तथा अनुभव, क्षेत्र विशेष की आवश्यकता/मांग के अनुसार ही प्रशिक्षण दिलाया जाय, जिससे स्वरोजगार व सवेतन रोजगार में लाभार्थियों के लगने की अधिक सम्भावनायें

होगी।

गत वर्षों से अब तक विभिन्न व्यवसायों के दिये गये प्रशिक्षणों की गहन समीक्षा की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व प्रशिक्षित लाभार्थी स्वतः रोजगार लगाने एवं वर्तमान वर्ष में ऐसे ही व्यवसायों/उद्योगों तथा परम्परागत व्यवसायों/उद्योगों तथा परम्परागत व्यवसायों के अतिरिक्त गैर परम्परागत व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हुआ है या नहीं। परम्परागत व्यवसायों के अतिरिक्त गैर परम्परागत-व्यवसायों को भी ध्यान में रखा जाय प्रायः देखा जा रहा है कि जिस अनुपात में लघु उद्यम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस अनुपात में प्रशिक्षार्थी सवेतन रोजगार अथवा स्वरोजगार में स्थापित नहीं हो पा रहे है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विभिन्न ट्रेडस में दिये जा रहे प्रशिक्षण अपेक्षित स्तर के नहीं है। अतः प्रशिक्षण को उत्तम स्तर एवं रोजगारोन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता है।

क्रियाकलापों के चयन में निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जायः-

(1) उन क्रिया कलापों को प्राथमिकता दी जाय जिनके लिए क्षेत्र में अथवा जनपद में कच्चा माल उपलब्ध है तथा उत्पादित सामग्री की विक्री भी क्षेत्र/जनपद में होने की सम्भावना है।

(2) परम्परागत व्यवसायों में कौशल विकास एवं गैर परम्परागत व्यवसायों में संवर्गों को विशेष ध्यान से देखा जाय।

(3) सिलाई, कढ़ाई पर कम से कम लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाय अर्थात लक्ष्य का 10 प्रतिशत तक रखा जाय।

यदि कभी भी किसी स्तर पर यह पाया गया कि गत वर्षों में दिये गये ट्रेड विशेष में प्रशिक्षण एवं उसमें रोजगार में स्थापितों की उचित पूर्ति नहीं है और वर्तमान वर्ष में भी किसी ट्रेड विशेष में आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है तो संबंधित सहायक परियोजना अधिकारी की उस संबंध में गम्भीर लापरवाही मानी जायेगी और परियोजना निदेशक/ परियोजना अधिकारी भी इस संबंध में उत्तरदायी होंगे।

लाभार्थियों के चयन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जायः-

(1) प्रशिक्षण पाने के इच्छुक लाभार्थियों का चयन घर-घर सर्वेक्षण तथा सामुदायिक विकास समिति स्तर पर खुली बैठक में कर लिया जाय।

(2) स्वरोजगार हेतु उन्हीं ट्रेड्स में लाभार्थियों का चयन किया जाय जिनमें बैंक वित्त पोषण हेतु सहमत हो।

(3) कतिपय विशिष्ट प्रशिक्षणों, जिनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, को छोड़कर अन्य में शैक्षिक योग्यता का कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा जायेगा।

(4) प्रशिक्षार्थियों का चयन समय यह ध्यान रखा जाय कि, निर्धारित आयु वर्ग

के बाहर के प्रशिक्षार्थियों तथा शिक्षारता विद्यार्थी का चयन न किया जाय।

(5) डी.डब्लू.सी.यू.ए. योजनान्तर्गत आच्छादित यू.एल.बी. के प्रशिक्षण के चयन में महिला समूहों की समस्याओं को प्रथम वरीयता दी जायेगी।

(6) चयनित लाभार्थियों को निर्धारित प्रार्थना पत्र जिसमें लाभार्थी की फोटो एवं अन्य विवरण होगा भी भरना होगा तथा इन लाभार्थियों को एक बांड भी भरना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त के बाद यह प्रशिक्षण से रोजगारपरक कार्य में लगेंगे।

प्रशिक्षण संस्थाओं का चयनः-

प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देकर किया जायः-

(1) योजनान्तर्गत उन्हीं संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु अनुमन्य किया जाय जिनके द्वारा गत वर्षों में प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम से कम 75 प्रतिशत संख्या स्वतः रोजगार में नियोजित करा दिये गये हो और इसका पूरा विवरण संबंधित स्थानीय निकाय व संस्था पर उपलब्ध हो।

(2) जनपद में अत्यधिक स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य में न लगाया जाय।

(3) जिन संस्थाओं पर स्थायी रूप से पूर्ण कालिक वेतन भोगी प्रशिक्षक उपलब्ध न हो उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु मान्यता न दी जाय।

(4) जिन ट्रेड्स में मास्टर क्राप्टमैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जा रहा हो उनका परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी के माध्यम से पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाय तथा निरीक्षण सप्ताह में एक बार स्टाफ द्वारा अवश्य किया जाय।

(5) आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, नेहरू युवा केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग वार्ड, पंचायत उद्योगों व अवस्थापना मद के अन्तर्गत वित्त पोषित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षार्थी भेजे जाय व इन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(6) स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन में यह भी देखा गया है कि बिना किसी स्थायी नियमित पूर्ण कालिक कार्यरत प्रशिक्षण स्टाफ, पंजीकृत कार्यालय व अवस्थापना सुविधाओं के रजिस्टर फर्म सोसाइटीज के यहां से संस्था का पंजीकरण कराकर संस्था मान ली जाती है, और इस प्रकार से यह तथा-कथित पंजीकृत ठेकेदार बनकर अकुशल/अर्द्धकुशल प्रशिक्षक को वेतन पर रखकर प्रशिक्षण का कार्य नाम मात्र के लिये ही करती है। इस प्रवृत्ति पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाय। स्वैच्छिक प्रशिक्षण संस्था या मास्टर क्राप्टमैन के चयन से पूर्व जिला नगरीय विकास अभिकरण के द्वितीय श्रेणी

स्तर के अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था का व्यवहारिक व वास्तविक रूप से पूर्व में कब से प्रशिक्षण दे रही है, कितना स्टाफ नियमित रूप से किस तकनीकी योग्यता व वेतनमान में नियुक्ति है और इसके प्रशिक्षण देने की क्षमता किस प्रकार है, कार्यालय सुविधा अवस्थापना, फर्नीचर तथा संस्था का अध्यक्ष/मंत्री का जीविकोपार्जन का साधन और संस्था के मूलभूत उद्देश्यों की प्रति संस्था ने क्या की है, का स्थलीय निरीक्षण कराया जाय। सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में ही प्रशिक्षण दिलाया जाय। मात्र प्रशिक्षण पर जीवित निर्भर स्वैच्छिक संस्थानों में प्रतिबन्ध लगाया जाता जाता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जब कि परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसी स्वैच्छिक संस्था की तकनीकी गुणवत्ता से पूर्णतया सन्तुष्ट हों तभी गैर सरकार संस्थाओं और मास्टर क्राप्टमैन से प्रशिक्षण दिलाया जाय।

(7) प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के दौरान यदि संस्थाओं के पास ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम नहीं है पाठ्यक्रम और जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो अनिवार्य रूप से नोडल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू होने से पूर्व उपलब्ध कराये जाय और निर्धारित अवधि में पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कराया जाय, उपस्थिति पंजिका प्रति दिन भरी जाय और प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 04 घण्टे की अवश्य होनी चाहिए एवं प्रशिक्षण का समय प्रारम्भ होने के 15 मिनट के अन्दर उपस्थिति अंकित कर दी जाय।

(8) प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण संस्थान के बोर्ड में प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण का समय अवश्य अंकित किया जाय और अधिशासी अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र के स्थान का जब भी भ्रमण करें तब अनिवार्य रूप से उपस्थिति पंजिका और उपस्थिति प्रशिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण ऋण प्रार्थना पत्र का भरा जाना, कच्चे माल की आपूर्ति और कच्चे माल से बने पक्के माल का विधिवत लेखों का रख-रखाव एवं बनी सामग्री का 1/2 (आधा-आधा) बाँट कर प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षण संस्था में करवाना सुनिश्चित करें। टूल किट्स भी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के अगले माह में उत्तम गुणवत्ता व उचित मूल्य के प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराया जाय। प्रशिक्षण केन्द्र पर निरीक्षण पंजिका, उपस्थिति पंजिका प्रशिक्षक की दैनिक डायरी, प्रशिक्षार्थी दैनिक कार्यों का आदि का होना आवश्यक है।

अधि स्थापना सहायताः-

लघु उद्यम स्थापित करने वाली लाभार्थियों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है इस हेतु निर्धनों के लिए बिक्री केन्द्रों की सुविधा जैसे कयास और रेहरी बाजार, नगर पालिका सेवा केन्द्र निर्माण एवं अन्य सेवायें जैसे बढ़ई, राज मिस्री, नलकारी, इलेक्ट्रीशियन, टी.वी., रोडियो,

फ्रिज मैकेनिक हेतु जो नगर वासियों की सुविधा के लिए उनके बुलाने पर उपलब्ध हो सके और साप्ताहिक बाजार एवं नगरीय क्षेत्र के सायंकालीन बाजार तथा सड़क के किनारे लगने वाले बाजार में इसके अतिरिक्त सहयोग जैसे बाजार सर्वेक्षण संयुक्त ब्राण्ड का नाम डिजाईन एवं विज्ञापन के सहयोग देने का कार्य सामुदायिक विकास (सी.डी.एस.) स्तर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए भी एक सेवा केन्द्र की स्थापना की जा सकती है।

प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु उपर्युक्त स्थल की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो सेवा केन्द्र से सम्बद्ध हो जिससे कि उन्हें नागरिकों द्वारा बुलाये जाने पर सामुदायिक विकास द्वारा निर्धारित उपयुक्त भुगतान पर कार्य करने के लिए भेजा जा सके। सेवा केन्द्र पर क्या सुविधायें सुलभ हैं इसका प्रचार-प्रसार नगर में कराया जाना चाहिए।

उक्त मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुबोध नाथ झा)
प्रमुख सचिव

संख्या-1772(1)/69-1-98-5 (एस.जे.)/98 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

(2) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ।

(3) निदेशक, यू.पी.ए., भारत सरकार।

(4) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव।